संख्या:पीसीएच-एचसी009(19)/1/2022-I/481171/2024
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित:

1. **समस्त जिला पंचायत अधिकारी,**
   हिमाचल प्रदेश।
2. **समस्त खण्ड विकास अधिकारी,**
   हिमाचल प्रदेश ।

शिमला-9 दिनांक: 12-09-2024

विषय: **पंचायत सामुदायिक केंद्र (पंचायत घर) में उन्नयन (Up-gradation)/परिवर्तन (Alteration) करने के लिए विभाग की अनुमति बारे ।**

महोदया/महोदय,

विभाग के ध्यान में आया है कि ग्राम पंचायतों में प्रधानों द्वारा पंचायत घर (पंचायत सामुदायिक केंद्र) में सामान्यतः उन्नयन (Up-gradation)/परिवर्तन (Alteration) का कार्य अपने स्तर पर विभाग की अनुमति के बिना किया जा रहा है, जिस कारण ऐसे कार्यों से जहाँ एक ओर धनराशि का अनावश्यक व्यय होने के फलस्वरूप सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा अनुमोदित पंचायत घर (पंचायत सामुदायिक केंद्र) के आरेखण (Drawing/Design) में भी परिवर्तन हो रहा है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप सभी संबंधित प्रधानों/सचिवों को निर्देशित करें कि भविष्य में पंचायत घर (पंचायत सामुदायिक केंद्र) में उन्नयन (Up-gradation)/परिवर्तन (Alteration) का कार्य बिना विभाग की अनुमति के न किया जाए। यदि किसी भी पंचायत घर (पंचायत सामुदायिक केंद्र) में उन्नयन (Up-gradation)/परिवर्तन (Alteration) का कार्य सम्बंधित प्रधान द्वारा बिना विभाग की अनुमति के किया गया तो संबंधित पंचायत के प्रधान व सचिव के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसे अति आवश्यक समझा जाए ।

भवदीय,

Signed by
Raghav Sharma
Date: 13-09-2024 11:32:44

निदेशक-एवं-विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।